



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

394590



विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि - ₹0 6,31,605/-
बाजार मूल्य - ₹0 3,68,250/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प- ₹0 63,200/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - बिजनौर
3. ग्राम - हसनपुर खेवली
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 115 रकबा

म. सुदीलाल

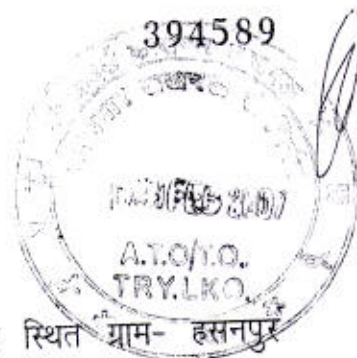


कान्ति कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 -



0.246 हेक्टेअर स्थित ग्राम- हसनपुर
खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व
जिला लखनऊ।

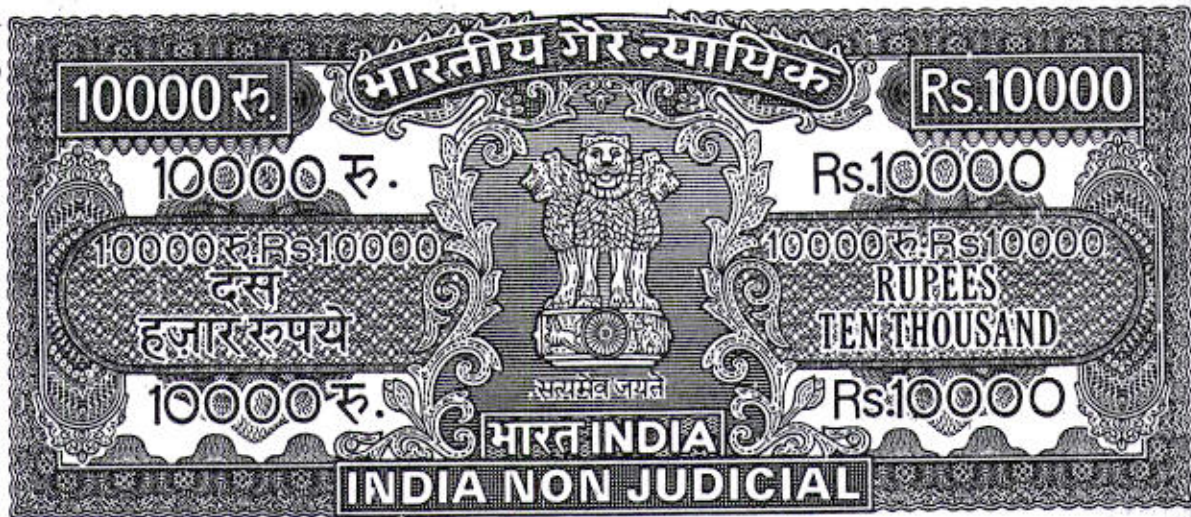
- | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| 5. | मापन की ईकाई | - | हेक्टेअर |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - | 0.246 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से
लगभग 200 मीटर से अधिक |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार | - | कृषि |
| 9. | पेड़ों की स्थिति | - | एक बोरींग है। |
| 10. | बोरींग/ कुआं अन्य | - | नहीं है। |

चौहद्दी खसरा नं० 115

चौ. पुर्तलाल



मानिकुमा



06AA 391550



- 3 -

उत्तर : खसरा नं0-114
दक्षिण : चकरोड
पूरब : खसरा नं0-90,123,122
पश्चिम : खसरा नं0-116

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
पुत्ती लाल पुत्र रामलाल निवासी ग्राम हसनपुर खेवली, परगना तहसील व जिला लखनऊ।	क्रांति कुमार रावत पुत्र लक्ष्मी प्रसाद रावत निवासी-रतियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ।

पुत्ती लाल



क्रांति कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 4 -

व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि
---------------	---------------

यह विक्रय विलेख पुत्ती लाल पुत्र रामलाल निवासी ग्राम हसनपुर खेवली, परगना तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है एवम् क्रांति कुमार रावत पुत्र लक्ष्मी प्रसाद रावत निवासी-रतियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया ।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 115 रकबा 0.246 हेक्टेअर स्थित ग्राम-हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक,

पुत्ती लाल

क्रांति कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C-193084

- 5 -

कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00100 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता

उत्तर प्रदेश



कामिल भूमा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 193083

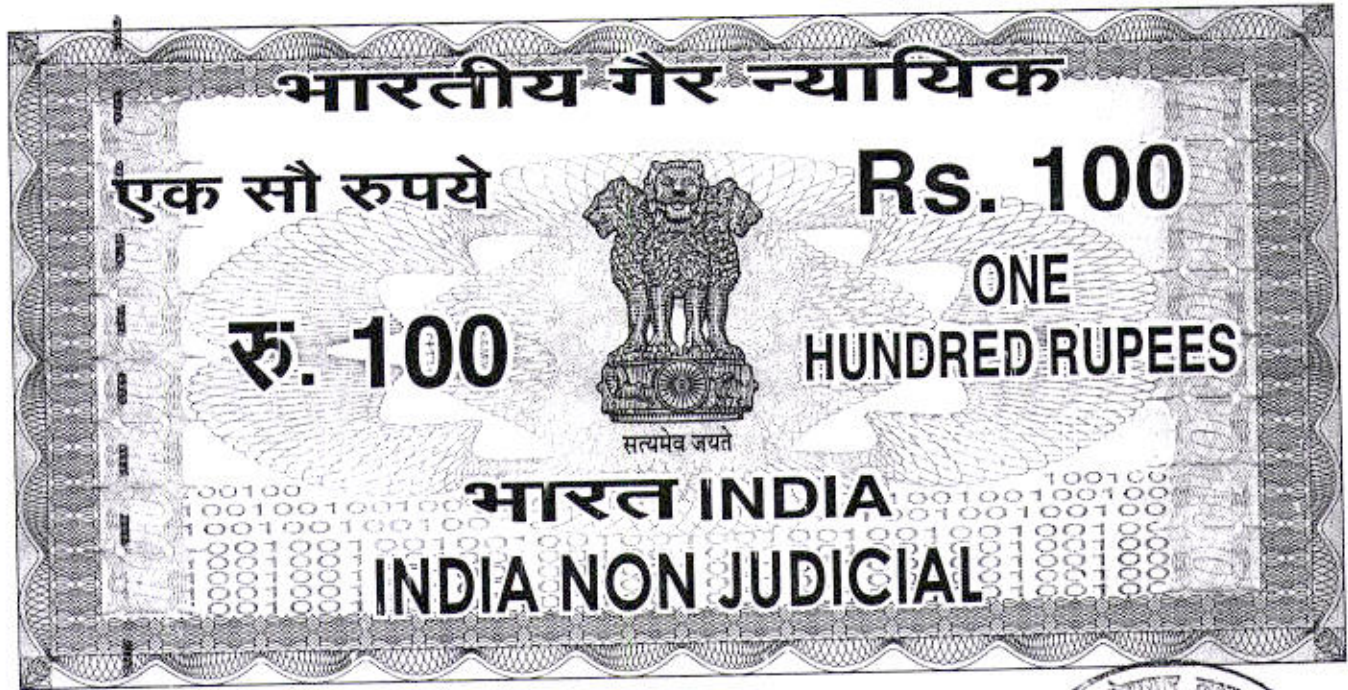
- 6 -

ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य मय बोरिंग सहित रु0 6,31,605/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई

पुत्रीलाल



कान्ति कुमारी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 7 -

अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व

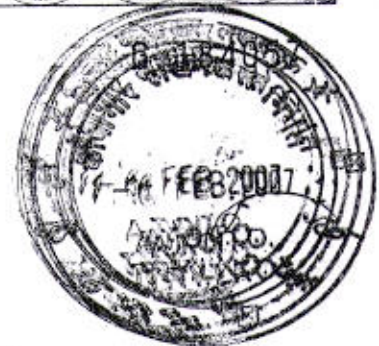
उक्त प्रतीति



प्राप्ति



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 8 -

अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे।
विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल
सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा
कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या
कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे
या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण
इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा,
विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति
में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

उपस्थित
[Signature]

कार्यालय

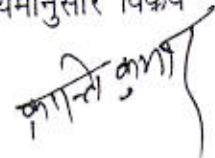
यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु० 13,75,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.246 हेक्टेअर की मालियत रु० 3,38,250/- होती है चूंकि भूमि पर एक बोरिंग है जिसकी कीमत रु० 30,000/- होती है इस प्रकार भूमि की कुल मालियत बोरिंग सहित रु० 3,28,250/- + 30,000/- = रु० 3,68,250/- होती है तथा

विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय





मूल्य पर ही ₹0 63,200/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता पुत्तिलाल को ₹0 5,00,000/- द्वारा चेक संख्या- 410750 दिनांकित 19.02.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

कान्ति कुमार

पुत्तिलाल

विक्रय पत्र

631,605.00/ 339,000.00

5,000.00 40 5,040.00 2,000

फॉस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत

श्री/श्रीमती पुत्तिलाल

पुत्र/पत्नी श्री रामलाल

पेशा कृषि

निवासी स्थायी हसनपुर खेवली लखनऊ

अस्थायी पत्र

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 19/2/2007 समय 4:24PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

दि. 19.2.07



के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

19/2/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती पुत्तिलाल

पुत्र/पत्नी श्री रामलाल

पेशा कृषि

निवासी हसनपुर खेवली लखनऊ

दि. 19.2.07



क्रेता

श्री/श्रीमती क्रांतिकुमार रावत

पुत्र/पत्नी श्री लक्ष्मीप्रसाद रावत

पेशा व्यापार

निवासी रतियामल लखनऊ

क्रांतिकुमार



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री वी के दिवेदी

पुत्र श्री जे पी दिवेदी

पेशा व्यापार

निवासी 18मदनमोहन मालवीय मार्ग लखनऊ

व श्री विश्राम कुमार

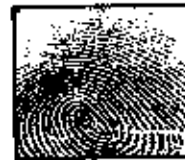
पुत्र श्री रामजीतार

पेशा व्यापार

निवासी हसनपुर खेवली लखनऊ

ने की।

दि. 19.2.07



प्रत्यक्षतः पत्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

19/2/2007

2. विक्रेता पुत्तीलाल को रू0 1,31,605/- द्वारा चेक संख्या- 416781 दिनांकित 19.02.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य बोरिंग सहित रू0 6,31,605/- (रूपया छः लाख इक्कतीस हजार छः सौ पांच मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लखनऊ:

दिनांक : 19.02.2007

गवाह :-क्रेता पहचान की

1.

V.K. Desimedi & J.P. Desimedi
18. Madan Mohan Mahiyamang
Luch.

पुत्तीलाल



विक्रेता

2. विक्रेता पहचान की

विश्वाम कुमार शर्मा
सो.पो. हसनपुर खेपल/ठाठ लावां के

क्रेता

टाईपकर्ता

(संजय कुमार सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 1615

Year : 2007

Book No. 1

0101 पुतीलाल

रामलाल

हसनपुर खेवली लखनऊ

कृषि



ग्राम हसनपुर शेखी परगना विवाह

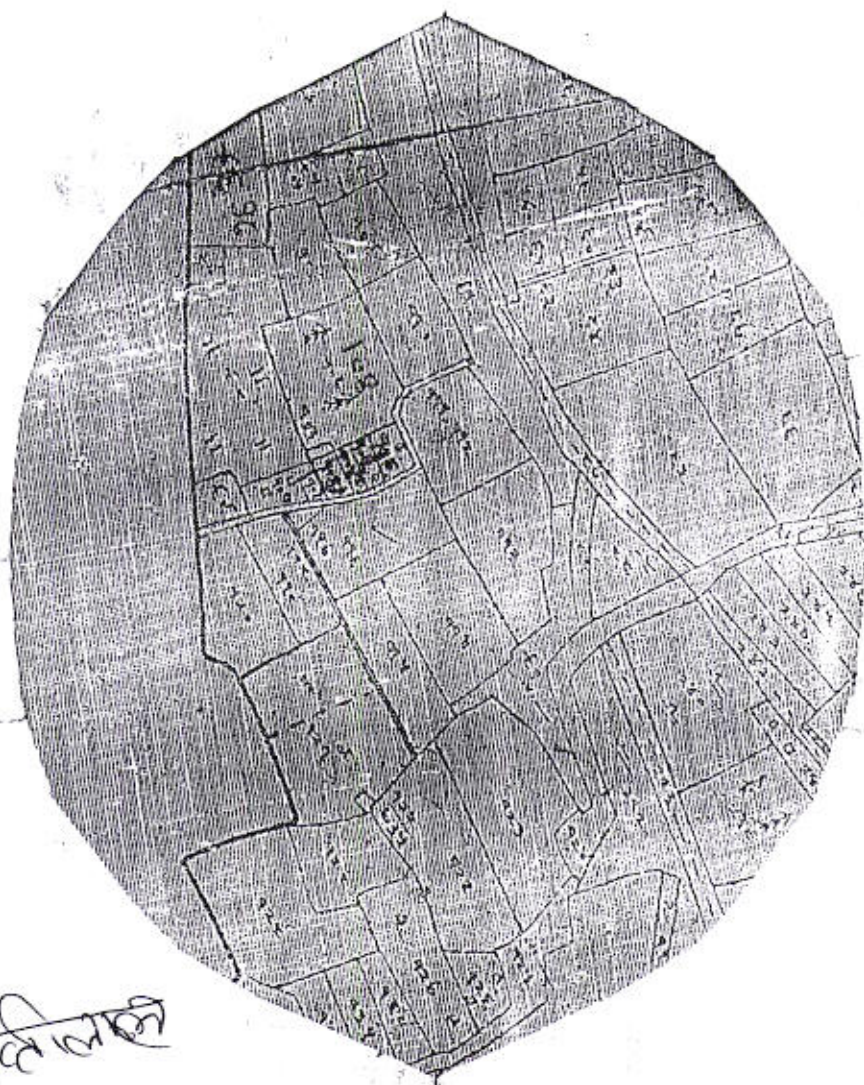
सहस्र

का

श्वसिता हं - ॥५॥

रसना

मिह - ॥५॥



विश्व पुस्तकालय

विज्ञान

कालिदास

के. ए.

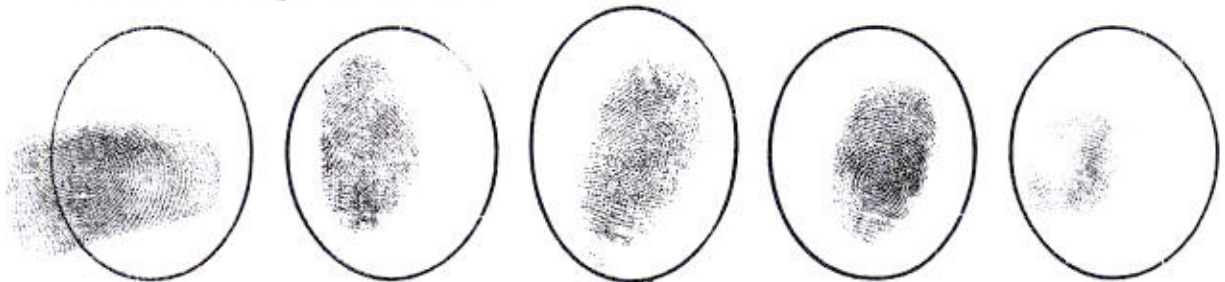
Book No. 1

राजस्त्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

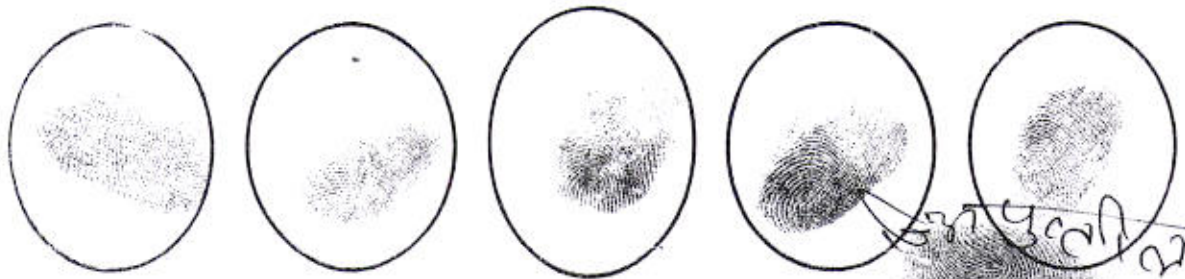
प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:-

पुनी बालराम चव्हाण
M. R. Chavan

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

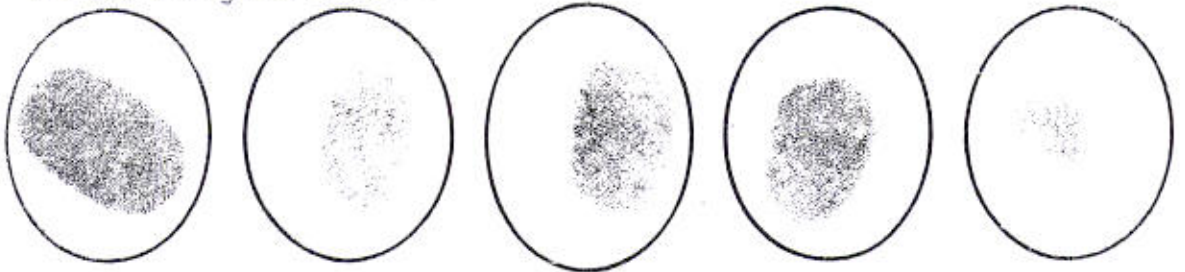


प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता /क्रेता के हस्ताक्षर

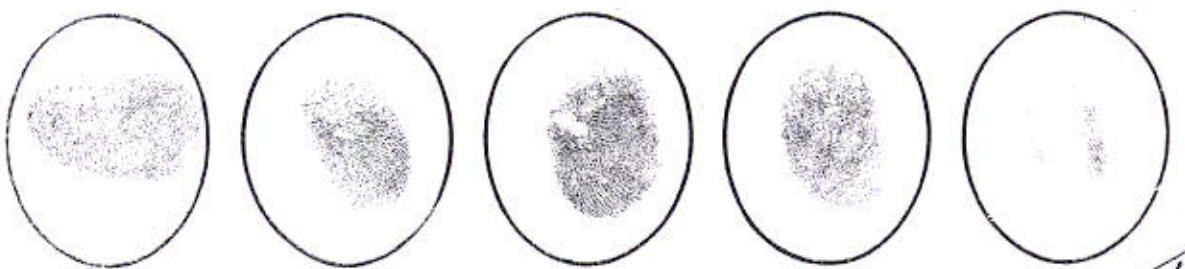
विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:-

रतिया मर्के गो बहा गो गोवरकर
कान्ति कुमार शिव राव

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



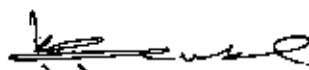
विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर
कान्ति कुमार

आज दिनांक 19/02/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8125

पृष्ठ सं. 173 से 198 पर कमांक 1615

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

19/2/2007